न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर म.प्र.

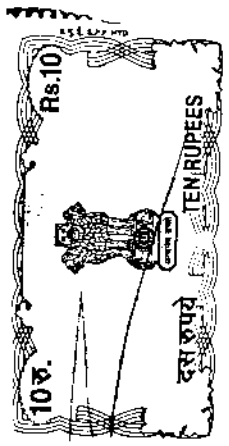

पुनरीक्षण प्र.क्र. : R - 1438 - I 13

प्रस्तुत दिनांक :

पुनरीक्षणकर्त्ता गण - 1. बालकदास आ. बाबूलाल गुर्जर

निवासी ग्राम खरतलाय तह. टिमरनी, जि. हरदा म.प्र.

2. श्रीमती राधाबाई पुत्री बाबूलाल पत्नी साहूकार गुर्जर

निवासी ग्राम चौकडी, तह. टिमरनी, जि. हरदा म.प्र.

विरूद्ध

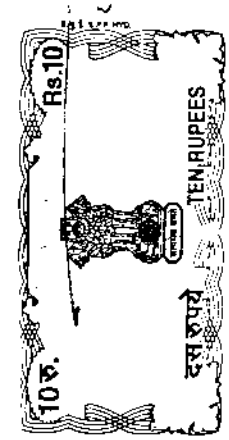

उत्तरदाता/अनावेदक गण - 1. मिथलेश आ. प्रेमदास गुर्जर

2. मनोज आ. प्रेमदास गुर्जर

3. प्रेमदास आ. बाबूलाल गुर्जर

तीनों निवासी ग्राम खरतलाय तह. टिमरनी, जि. हरदा म.प्र.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्त्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय टिमरनी के रा.प्र.क्र. 4 अ 6 वर्ष 12-13 ग्राम खरतलाव में लिखी आदेशिका दिनांक 12.03.2013 से दुखी एवं असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1438–एक / 13 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एव अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर

25–6–2014

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में केवल यह बिन्दु विचारणीय है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–3–2013 को पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अवैधानिकता की गई है अथवा नहीं । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यह आधार उठाया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अवैधानिकता की गई है । प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों की कण्डिका 6 में तहसीलदार को आदेशिका दिनांक 12–3–2013 को निरस्त करने का आधार लिया गया है, जबकि उक्त दिनांक को तहसीलदार द्वारा कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है । अतः आवेदकगण द्वारा तहसीलदार को कौनसी आदेशिका दिनांक 12–3–2013 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है यह

स्पष्ट नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत अपने वरिष्ठ अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की गई है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 51 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रदान करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

2 अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है । 2000 राजस्व निर्णय 76 शहीद अनवर वि0 राजस्व मण्डल तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 51 परंतुक (एक)-द्वितीय पक्ष को सूचित किये जाने के अभाव में और सुने बिना राजस्व मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन हेतु अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-3-2013 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

3 उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-3-2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ

प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनर्विलोकन की अनुमति संबंधी विधिवत आदेश पारित किया जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष